समक्ष एसएस कांग, जे.

सुबे सिंह और अन्य - याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य - प्रतिवादी।

सिविल रिट याचिका संख्या 1986 का 6328

29 जनवरी 1987

भारत का संविधान, 1950–अनुच्छेद 14–विश्वविद्यालय के छात्र को निलंबित–पूर्वोक्त निलंबन *-क्या दंड के समान है-छात्र को सुनवाई का अवसर दिए बिना निलंबन का आदेश दिया गया-ऑडी अल्टरम पार्टम के नियम का सिद्धांत-क्या मामले में आकर्षित किया गया-निलंबन का आदेश-क्या अलग रखा जा सकता है।*

आयोजित, कि किसी छात्र के निलंबन का आदेश सजा के रूप में काम करता है। यदि कोई छात्र एक शैक्षणिक वर्ष में कई दिनों तक कक्षाओं में भाग लेने से चूक जाता है या अनुपस्थित रहता है तो वह उस विशेष वर्ष की परीक्षा देने के लिए अयोग्य हो जाता है। किसी छात्र का निलंबन सरकारी कर्मचारी के निलंबन से अलग है। दोषमुक्ति की स्थिति में छात्र को पूरा वेतन और भत्ते देकर मुआवजा दिया जाता है, जबकि एक छात्र के मामले में एक वर्ष के नुकसान के लिए कोई मुआवजा संभव नहीं है। इसलिए, निलंबन के आदेश का एक छात्र पर प्रतिकूल नागरिक प्रभाव पड़ता है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि जिस आदेश के बुरे नागरिक परिणाम होते हैं, उसे प्रभावित पक्ष को सुनवाई का अवसर देने के बाद पारित किया जाना चाहिए और ऑडी अल्टरम पार्टम के सिद्धांतों को मामले में आकर्षित किया जाता है। अत: निलंबन आदेश निरस्त

किये जाने योग्य है।

(पैरा 10)

अनुच्छेदों के अंतर्गत याचिका भारत के संविधान के 226/227 में प्रार्थना है कि: –

(a) *कि इस याचिका को स्वीकार किया जाए और पक्षों को सुनने के बाद आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी.* 2) उत्प्रेषण रिट या किसी अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी करके रद्द कर दिया जाएगा।

(b) *कि 'अनुलग्नक पी' दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां भरने से छूट दी जाए (अनुलग्नक पी.* 1 से 6)।

(c) *मामले की तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादी को याचिका की अग्रिम प्रतियां देने से छूट दी जाए* चूँकि परीक्षाएँ दिसंबर 1986 के मध्य में शुरू हो रही हैं।

(d) *उन्होंने उत्तरदाताओं को उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करते हुए इस याचिका के लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ताओं को परीक्षा देने, सेसिनोअल्स पूरा करने और कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति देने का निर्देश दिया।*

(e) *यह कि उनके द्वारा जारी कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जिसके लिए याचिकाकर्ता इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में हकदार पाए जाते हैं।*

याचिकाकर्ता के वकील आर. एस. चीमा।
एम. एस लिब्रहान, वकील, प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के लिए।
प्रतिवादी नंबर 1 के लिए वकील आई. डी सिंगला।

निर्णय

(1) क्या किसी शैक्षणिक संस्थान से किसी छात्र के निलंबन और निष्कासन के आदेश पारित करने से पहले ऑडी अल्टरम पार्टम का सिद्धांत लागू होता है? यह कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र से संबद्ध क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, कुरूक्षेत्र के सूबे सिंह और 13 अन्य छात्रों द्वारा दायर इस याचिका में उठाया गया संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित परिस्थितियों में इसमें वृद्धि हुई है:-

(2) याचिकाकर्ता क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, कुरूक्षेत्र की विभिन्न कक्षाओं के छात्र हैं - प्रतिवादी संख्या 2।

(3) 21 मई 1985 को कॉलेज परिसर में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। इस घटना के संबंध में मामला पुलिस थाना थानेसर, जिला कुरूक्षेत्र में दर्ज किया गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपों के अनुसार, याचिकाकर्ताओं और एक सत्य पॉल सिरोवा ने मोहिंदर कुमार नाम के व्यक्ति को चोट पहुंचाई थी, जो इस कॉलेज का पूर्व छात्र था। आगे आरोप लगाया गया कि इसके बाद श्री मोहिंदर कुमार, उपर्युक्त, कॉलेज से चले गए। उसके साथ दोबारा मारपीट की गई। चोटों के कारण मोहिंदर कुमार की मौत हो गई।

(4) उसी शाम कॉलेज के प्राचार्य श्री बीके कौल ने याचिकाकर्ताओं को तत्काल प्रभाव से कॉलेज से निलंबित करने का आदेश पारित किया। निलंबन के दौरान, याचिकाकर्ताओं को छात्रावास सहित कॉलेज परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। इस आदेश की एक प्रति रिट याचिका के अनुलग्नक पी. 1 के रूप में संलग्न की गई है।

(5) 23 मई, 1985 को कॉलेज प्राधिकारियों ने एक और आदेश पारित कर याचिकाकर्ताओं और उपर्युक्त सत्य पॉल सिरोवा को तत्काल प्रभाव से कॉलेज

से निष्कासित कर दिया। यह आदेश महाविद्यालय के प्राचार्य की ओर से प्रोफेसर-इन-चार्ज श्री केके अग्रवाल के हस्ताक्षर से जारी किया गया। आदेश की एक प्रति रिट याचिका के अनुलग्नक पी. 2 के रूप में संलग्न है। आदेश में कहा गया है कि श्री मोहिंदर कुमार की हत्या के बाद स्थिति की गंभीरता और संबंधित छात्रों की अनुपलब्धता को देखते हुए, 21 मई, 1985 के आदेश के तहत याचिकाकर्ताओं और सत्य पॉल सिरोवा को निलंबित कर दिया गया। तत्काल प्रभाव से महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया गया। इन छात्रों के हॉस्टल समेत कॉलेज परिसर में प्रवेश पर रोक लगा दी गयी। पुलिस द्वारा मामले की जांच की गयी। याचिकाकर्ताओं, सत्य पॉल सिरोवा और दस अन्य छात्रों को श्री मोहिंदर कुमार की हत्या के लिए चुनौती दी गई थी। उन पर विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कुरूक्षेत्र द्वारा मुकदमा चलाया गया। याचिकाकर्ताओं को हत्या के आरोप से बरी कर दिया गया, लेकिन उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 304 - भाग- II के तहत दोषी ठहराया गया और पांच साल के कठोर कारावास और प्रत्येक को 1000 रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई। याचिकाकर्ताओं ने विद्वान परीक्षण न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ अपील दायर की है। इसे इस न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है और उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया है।

(6) याचिकाकर्ताओं ने इस रिट याचिका के आदेश अनुलग्नक पी. 1 और पी. 2 पर हमला किया है।

(7) रिट याचिका का उत्तरदाताओं द्वारा विरोध किया गया है। प्रतिवादी नंबर 3 कॉलेज के प्रिंसिपल की ओर से एक लिखित बयान दायर किया गया है - जिसमें रिट याचिका में दिए गए तथ्यात्मक कथनों से इनकार नहीं किया गया है। यह स्वीकार किया गया है कि श्री मोहिंदर कुमार की हत्या के बाद याचिकाकर्ताओं को निलंबित कर दिया गया था और उन्हें छात्रावास खाली करने

का आदेश दिया गया था। याचिकाकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से आदेश नहीं दिए जा सके क्योंकि वे उपलब्ध नहीं थे और उन्होंने इस उद्देश्य के लिए नामित प्रोफ़ेसर के पास अपना संपर्क पता नहीं छोड़ा था। आगे कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं को कॉलेज से निष्कासित करने की अधिसूचना कॉलेज अधिकारियों द्वारा इस उद्देश्य के लिए जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद जारी की गई थी। आगे यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ताओं ने नोटिस की सेवा से परहेज किया और वास्तव में, कोई संपर्क पता छोड़े बिना भूमिगत हो गए। जांच समिति द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए जांच की गई।

(8) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री आरएस चीमा ने जोरदार तर्क दिया कि संलग्नक पीआई और पी 2 - याचिकाकर्ताओं को निलंबित करने और निष्कासित करने के आदेश पारित करने से पहले उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया था। याचिकाकर्ताओं के स्थायी पते कॉलेज-प्राधिकरणों के पास उपलब्ध थे क्योंकि कॉलेज में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक छात्र को अपना स्थायी पता जमा करना होता है। कॉलेज-अधिकारियों ने याचिकाकर्ताओं से संपर्क करने या किसी भी आसन्न जांच के निलंबन का नोटिस देने की कोशिश नहीं की। कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर भी कोई नोटिस नहीं चिपकाया गया। उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ताओं को जारी किए गए किसी भी नोटिस की प्रतियां प्रस्तुत नहीं की हैं। याचिकाकर्ताओं के खिलाफ घरेलू जांच आयोजित करने के संबंध में लिखित बयान में दिए गए दावे बेहद अस्पष्ट हैं। यह उल्लेख नहीं है कि जांच समिति का गठन किसने किया; इसकी बैठक कब हुई और यह खुलासा नहीं किया गया कि कौन गवाह थे, यदि कोई थे, जिनसे जांच समिति ने पूछताछ की। रिट याचिका की सुनवाई के दौरान भी इस अदालत में जांच रिपोर्ट पेश नहीं की गई है। इसे लिखित बयान के साथ पेश नहीं किया गया है। निलंबन और निष्कासन

के आदेशों का एक छात्र पर गंभीर और गंभीर परिणाम होता है। इन्हें प्राकृतिक न्याय का घोर और घोर उल्लंघन करते हुए पारित किया गया है और इन्हें कायम नहीं रखा जा सकता। आगे यह तर्क दिया गया है कि सत्य पॉल सिरोवा, जो याचिकाकर्ता संख्या 10 और 11 के समान ही स्थित थे, को अपनी परीक्षाएं लेने की अनुमति दी गई है।

(9) प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित हरियाणा के विद्वान महाधिवक्ता श्री एमएस लिब्रहान ने श्री आरएस चीमा के तर्कों का प्रतिवाद किया और तर्क दिया कि रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा उनके निलंबन के आदेशों को कोई चुनौती नहीं दी गई है। याचिकाकर्ता जघन्य अपराध करने के बाद भाग निकले और कॉलेज या छात्रावास में उपलब्ध नहीं थे। इसके अलावा, निलंबन का आदेश जांच को आसान बनाने के लिए एक अंतरिम उपाय के रूप में पारित किया गया है और इसे सजा के रूप में पारित नहीं किया गया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं ने कॉलेज परिसर में जघन्य अपराध करने के बाद खुद को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बना लिया। अपराध को अंजाम देने के बाद वे फरार हो गए और ऐसा कोई पता नहीं छोड़ा जहां उन्हें सेवा प्रदान की जा सके। उनके आचरण के खिलाफ जांच की गई और जांच समिति ने उन्हें दोषी ठहराया।

(10) यह सच है कि निष्क्रिय रिट याचिका में यह विशेष रूप से नहीं कहा गया है कि निलंबन के आदेशों को रद्द कर दिया जाए। हालाँकि, एक सामान्य प्रार्थना यह है कि कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश हो जारी किया गया जिसके याचिकाकर्ता हकदार पाए गए। निलंबन का आदेश संलग्न किया गया है और उसका संदर्भ दिया गया है और रिट याचिका के मुख्य भाग में भी उसका संदर्भ दिया गया है। यह नहीं कहा जा सकता है कि अनुबंध पीएल आदेश को रद्द करने के लिए एक विशिष्ट प्रार्थना की अनुपस्थिति ने किसी भी तरह से

उत्तरदाताओं को पूर्वाग्रहित किया है और उन्हें इस आदेश का बचाव करने के अवसर से वंचित कर दिया गया है। मामले के इस पहलू पर श्री एम. एस. लिब्रहान द्वारा रखी गई दूसरी दलील स्वीकार नहीं की जा सकती। किसी छात्र के लिए निलंबन का आदेश सज़ा का काम करता है। यदि कोई छात्र एक शैक्षणिक वर्ष में कई डीएवी कक्षाओं में भाग लेने से चूक जाता है या उपस्थित नहीं हो पाता है, तो वह उस विशेष वर्ष की परीक्षा देने के लिए अयोग्य हो जाता है। किसी छात्र का निलंबन सरकारी कर्मचारी के निलंबन से अलग है। दोषमुक्ति की स्थिति में बाद वाले को पूर्ण वेतन और भत्ते का भुगतान करके पूरी क्षतिपूर्ति दी जाती है। हालाँकि, एक छात्र के मामले में, उसे दोषमुक्ति की स्थिति में, एक वर्ष के नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती है। इसलिए निलंबन के आदेश का एक छात्र पर प्रतिकूल नागरिक परिणाम होगा। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि जिस आदेश के बुरे नागरिक परिणाम हों, उसे ऑडी अल्टरम पार्टम के सिद्धांत का अनुपालन करने के बाद पारित किया जाना चाहिए। यह तर्क नहीं दिया गया है और वास्तव में यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि कॉलेज या विश्वविद्यालय के क़ानून अनुशासनात्मक कार्यवाही में इस नियम के आवेदन को स्पष्ट रूप से खारिज करते हैं। *राकेश कुमार* बनाम *पंजाब राज्य और अन्य*[1] मामले में इस न्यायालय की एक खंडपीठ को इस मामले पर विचार करने का अवसर मिला था। इसमें एक स्कूली छात्र के निलंबन का आदेश भी इस आधार पर दिया गया था कि इसे पारित किया गया था। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। आदेश की चुनौती को डिवीजन बेंच ने बरकरार रखा था। यह देखा गया कि: -

"यह प्राकृतिक न्याय का एक प्राथमिक नियम है कि पार्टी के हित को

[1] ए. आई. आर. 1965 पीबी. 507।

प्रभावित करने वाले किसी भी आदेश का विश्लेषण करने से पहले उसे सुना जाना चाहिए। सिद्धांत को मैक्सिम ऑडी अल्टरम पार्टेम द्वारा व्यक्त किया गया है, इस मामले में लड़के के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा रहा था और मामला प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के आवेदन के लिए गिर गया। ऐसे में एक मामले में जब प्रिंसिपल ने अपने एक छात्र के साथ व्यवहार करते हुए एक ऐसे मामले पर विचार किया जो कि न्यायालय में विचाराधीन था और उसने संस्थान के अनुशासन से संबंधित नहीं होने के कारण, ऑडी अल्टरम पार्टम के सिद्धांत को हल्के में नहीं लिया जा सकता है और प्राधिकारी को उस छात्र की बात सुननी चाहिए जो इसे पारित करने वाले आक्षेपित आदेश से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है। याचिकाकर्ता को प्रदान किए गए अवसर की अनुपस्थिति न्याय से इनकार और प्राकृतिक न्याय के आवश्यक सिद्धांत का उल्लंघन है। इसलिए निलंबन आदेश रद्द किया जाना चाहिए।"

उपरोक्त निर्णय का अनुपात वर्तमान मामले के तथ्यों पर पूर्णतः लागू होता है।

(11) फ़ाइल में यह मानने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है कि याचिकाकर्ताओं के आचरण में कॉलेज-अधिकारियों द्वारा कोई जांच की गई थी। यह जानना दिलचस्प होगा कि घटना 21 मई, 1985 को हुई थी। याचिकाकर्ताओं को उसी दिन शाम को निलंबित कर दिया गया था। 48 घंटे के अंदर निष्कासन का आदेश पारित कर दिया गया था। जांच कमेटी की रिपोर्ट फाइल पर नहीं लगाई गई है। रिट याचिका की सुनवाई के दौरान भी इसे पेश नहीं किया गया। याचिकाकर्ताओं को जारी किए गए नोटिस की प्रतियां भी लिखित बयान के साथ संलग्न नहीं की गईं और न ही रिट याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत में

पेश की गईं। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई जांच नहीं की गई। यदि तर्कों के लिए यह मान भी लिया जाए कि कोई जांच हुई थी, तो भी वह जांच निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों को संतुष्ट नहीं करेगी। जो छात्र गंभीर आपराधिक आरोप का सामना कर रहे थे, उनसे इतने कम समय में होने वाली जांच में खुद का बचाव करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। उनके पास अपना बचाव तैयार करने और घटना के बारे में अपना संस्करण पेश करने या अपने आचरण के संबंध में स्पष्टीकरण देने का समय नहीं होगा।

(12) याचिकाकर्ता संख्या 10 और 11 की यह दलील कि उनके साथ भेदभाव किया गया है, मुझे पसंद नहीं आई। उत्तरदाताओं द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि सत्य पॉल सिरोवा को इस न्यायालय के आदेशों के तहत परीक्षा देने की अनुमति दी गई है। यह सच है कि आदेश रिट याचिका में पारित किए गए थे जो अनुचित साधनों से संबंधित थे और इसका याचिकाकर्ताओं के निलंबन और निष्कासन की घटना से कोई लेना-देना नहीं था, फिर भी अधिकारियों ने सत्य पॉल सिरोवा को अनुमति देना उचित समझा होगा उस याचिका में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसरण में परीक्षा दें। इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा।

(13) विपक्ष नतीजतन, रिट याचिका को खारिज कर दिया गया है और इसमें दिए गए आदेश अनुलग्नक पी 1, दिनांक 21 मई, 1985 और पी 2, दिनांक 23 मई, 1985 को रद्द कर दिया गया है। हालाँकि, कॉलेज-प्राधिकरण याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कानून के अनुसार आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र होंगे। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि वे याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर

प्रदान करेंगे और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अक्षरशः पालन किया जाएगा। यदि उत्तरदाता याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का निर्णय लेते हैं, तो वे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करेंगे और याचिकाकर्ताओं को पूरा अवसर देंगे, हालांकि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

अस्वीकरण : *स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।*

अवंतिका
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
करनाल, हरियाणा